संख्या-46/2016/2073/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.4

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2016

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अति कुपोषित बच्चों हेतु हौसला फीडिंग कार्यक्रम हेतु धनराशि के अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-590/बा0वि0परि0/लेखा/2016-17, दिनांक 08.07.2016 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों के पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-41/2016/2000/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.1 दिनांक 08.07.2016 द्वारा रूपये 1,25,00.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों को गरम पका पकाया भोजन खिलाने हेतु रूपये 3302.32 लाख प्रतिमाह की दर से 03 माह (15 जुलाई से 15 अक्टूबर, 2016 तक) के लिए रूपये 99,06,96,000/- (रूपये निन्यानब्बे करोड़ छः लाख छियानब्बे हजार मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.11 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक नहीं होगा।

(7) समस्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2017 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत धन संचरण, लेखों के रख-रखाव, आडिट इत्यादि के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-18-अति कुपोषित बच्चों के लिए फीडिंग कार्यक्रम के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति' के नाम डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–एफ.ए.-259(1)/दस-2016, दिनांक 12.07.2016 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-46/2016/2073(1)/60-2-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त लेखा अनुभाग-1।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।